वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

NAAC A+Grade

Wbe: www.vbspu.ac.in Email:connectpuregistrar@gmail.com

पत्रांक: 6060 / शैक्षणिक / 2024 दिनांक: 17-8-24

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष
   विश्वविद्यालय परिसर।

2. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक सम्बद्ध महाविद्यालय
   वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अच्छादित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रवेश अध्यापन परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु नियमावली 2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परास्नातक नियमावली पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 13.08.2024 के क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अच्छादित परास्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र 2024–25 से प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि नियमावली के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

कुलसचिव

16/8/24

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ आशुलिपिक, वित्तअधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें
5. गार्ड फाई।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर
(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

A+ NAAC

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर
प्रवेश, परीक्षा एवं अध्यापन नियमावली: 2024

(वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 से आच्छादित परास्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र: 2024-25 से प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश)

विषय-वस्तु (Contents)

विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
SECTION-I	**3-4**
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अधीन स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना एवं विशेषता (पत्रांक: 438/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनाँक: 08/02/2021)	3
• क्षेत्र (Scope) एवं प्रयोज्यता (Applicability)	3
• प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ	3
• पाठ्यक्रम के प्रकार (Type of Courses)	4
SECTION II	**5-9**
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश व निकास के संबंध में दिशा-निर्देश	5
प्रवेश प्रक्रिया (पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया) :-	5
• प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता :	5
• प्रवेश नियम एवं आरक्षण	6
• प्रवेश प्रक्रिया	6
• पाठ्यक्रम की अवधि, क्रेडिट आवश्यकताएँ एवं निर्धारण	7
• स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना	7
• स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)	8
• उपस्थिति की आवश्यकता	9
SECTION III	**9-13**
A. Evaluation and Examination System (मूल्यांकन एवं परीक्षा व्यवस्था)	9
• एस.जी.पी.ए. और सी.जी.पी.ए. की गणना:	11
• परीक्षा, कक्षोन्नति एवं पुनः परीक्षा के नियम	11
• Transcript (प्रतिलेख):	12
• Withholding of Grade Card/Transcript (ग्रेड कार्ड/प्रतिलेख को रोकना)	12
• Exit Option and Award of Post Graduate Diploma (पाठ्यक्रम छोड़ने का विकल्प और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करना)	12
• Award of Post Graduate Degree and Class/Division (स्नातकोत्तर उपाधि एवं स्थान/क्षेणी प्रदान किया जाना):	13
• Conversion of CGPA to Equivalent Marks (CGPA को समकक्ष अंकों में परिवर्तित करना):	13
• Interpretation Clause (व्याख्या उपवाक्य):	13
SECTION: IV	**14**
• पी-एच०डी० कार्यक्रम	14
• 4 Year Graduation Course Structure (Updated)	15
• 3 Year Honours and Single Subject Course Structure (Updated)	16
• सकाय विभाजन (नवीन शैक्षणिक व्यवस्था हेतु)	17-20

Section-I

A. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 आधारित स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना एवं विशेषता :

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या-1567/सत्तर- 3-2021-16(26)/2011टी०सी०, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था, जिसके बिन्दु संख्या-4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा। इस सम्बन्ध में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निम्न योजना विश्वविद्यालय के सभी हितकरकों (प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों) के लिए प्रस्तुत है –

1. क्षेत्र (Scope) एवं प्रयोज्यता (Applicability) –

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में नियामक संस्था (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नियम लागू होते हैं जैसे एम०ए०, एम०एस-सी०, एम०बी० ए० एवं एम०काम०, इत्यादि उनमें यह व्यवस्था लागू होगी। **स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास चिकित्सा शिक्षा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (M.Tech. MCA etc.), विधि (एल-एल०एम०), शिक्षक शिक्षा (एम०एड०, एम०पी०एड०) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के NEP-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।**
- **यह प्रवेश, परीक्षा एवं अध्यापन नियमावली सत्र 2022-2023 एवं चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र-2024-25 से वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के सभी दो वर्षीय (चार सेमेस्टर), स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों पर लागू होंगे।**

2. प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ

i. **Academic Year (शैक्षणिक वर्ष):** लगातार दो सेमेस्टर, एक विषम और एक सम सेमेस्टर से मिलकर एक शैक्षणिक वर्ष बनेगा।

ii. **Choice Based Credit System (सीबीसीएस):** सी.बी.सी.एस. छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर, वैकल्पिक, मूल्य वर्धित, अपने संकाय के भीतर अंतर-विभागीय और अन्य संकायों में अंतर-विभागीय) से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है।

iii. **Course (पाठ्यक्रम):** कभी-कभी इसे 'पेपर' भी कहा जाता है, जो किसी कार्यक्रम (प्रोग्राम) का एक घटक है। एक पाठ्यक्रम को व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगशाला कार्य/क्षेत्र कार्य/आउटरीच (प्रसार) गतिविधियां/प्रोजेक्ट कार्य/ व्यावसायिक प्रशिक्षण/मौखिकी/सेमिनार/टर्म पेपर/असाइनमेंट/प्रस्तुति/स्व-अध्ययन आदि या इनमें से कुछ के संयोजन को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।

iv. **Credit (क्रेडिट):** एक इकाई है, जिसके द्वारा पाठ्यक्रम कार्य के भार को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों (कक्षाओं) के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक credit hour प्रति सप्ताह 01 घंटे के प्रत्यक्ष शिक्षण (व्याख्यान/ट्यूटोरियल) कार्य या दो घंटे के प्रैक्टिकल कार्य/क्षेत्र कार्य के बराबर है।

v. **Cumulative Grade Point Average (सी.जी.पी.ए.):** यह एक छात्र के समग्र संचयी शैक्षणिक निष्पादन का माप है।

vi. **Grade Point (ग्रेड प्वाइंट):** यह प्राप्त प्रत्येक अंक के लिए आवंटित एक संख्यात्मक मान है।

vii. **Semester Grade Point Average (एस.जी.पी.ए.):** यह एक सेमेस्टर में शैक्षणिक निष्पादन (performance) का माप है।

viii. **Grade/Score Card (ग्रेड/स्कोर कार्ड):** ग्रेड कार्ड किसी पाठ्यक्रम के किसी भी सेमेस्टर के अंत में और ग्रेड में सुधार पर सभी छात्रों को दिए जाएंगे। यह इस कार्ड पर पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड अंक और एस.जी.पी.ए./सी.जी.पी.ए. उल्लेखित होगा।

ix. **Letter Grade (लेटर ग्रेड):** यह किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है। ग्रेड को A+, A, B+, B, C, D, P, F और AB अक्षरों से दर्शाया जाता है।

x. **Programme (कार्यक्रम):** एक शैक्षणिक कार्यक्रम जो डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करता है।

xi. **Semester (सेमेस्टर):** प्रत्येक सेमेस्टर में 90 कार्य दिवसों के बराबर शैक्षणिक कार्य होगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विषम सेमेस्टर जुलाई/अगस्त से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से मई तक होगा।

xii. **Transcript (प्रतिलेख पाठ्यक्रम विवरण):** किसी पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर के सफल समापन पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रतिलेख पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या) और प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ग्रेड अंक और सी.जी.पी.ए. को प्रदर्शित करेगा।

3. पाठ्यक्रम के प्रकार (Type of Courses)

i. **Core Course (कोर कोर्स):-** कोर कोर्स एक ऐसा कोर्स है, जिसका अध्ययन करना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है।

ii. **Elective Course (ऐच्छिक पाठ्यक्रम):-** ऐच्छिक पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम में पेश किए गए ऐच्छिक पाठ्यक्रमों (जो विभिन्न संकायों द्वारा पढ़ाया जा रहा है) के पूल से चुना जा सकता है।

iii. **Foundation Course (फाउंडेशन कोर्स):** अन्य पाठ्यक्रमों के अलावा, जहां भी आवश्यक हो, फाउंडेशन पाठ्यक्रम पेश किया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन को 'एसजीपीए' और 'सीजीपीए' की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

iv. **Credited Value-Aided Course (क्रेडिट मूल्य-वर्धित पाठ्यक्रम):** ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में उन्नत रोजगार योग्यता कौशल के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं और उन्हें क्रेडिट दिये जाते हैं।

v. **Non-Credited Value-Aided Course (गैर-क्रेडिट मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम):** ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में उन्नत रोजगार योग्यता कौशल के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में निष्पादन (performance) को 'एस.जी.पी.ए.' और 'सी.जी.पी.ए.' की गणना के लिए नहीं गिना जायेगा।

vi. **Inter-departmental Course- other faculty (अंतर-विभागीय पाठ्यक्रम- अन्य संकायों में)**: ये पाठ्यक्रम परास्नातक के छात्रों के लिए खुले होंगे, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में विभागों/संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे हैं। संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था एवं संसाधनों के आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में छात्रों की अधिकतम संख्या की सीमा तय की जाएगी।

vii. **Inter departmental Course- own faculty (अंतर-विभागीय पाठ्यक्रम-अपने संकाय के भीतर)**: ये पाठ्यक्रम उसी संकाय के भीतर परास्नातक के छात्रों के लिए खुले होंगे, जो संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट हैं। जो संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था एवं संसाधनों के आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में छात्रों की अधिकतम संख्या की सीमा तय की जाएगी।

viii. **Internship Programme (इंटर्नशिप कार्यक्रम)**: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी छात्रों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट क्रेडिट के साथ चार से छह सप्ताह की इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होगी।

ix. MOOC Course (मूक कोर्स): किसी भी छात्र को 4 क्रेडिट का समान पाठ्यक्रम (अपने पाठ्यक्रम के समान) चुनने की स्वतंत्रता होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पोर्टल यथा MOOC, SWAYAM पर उपलब्धता के आधार पर यू.जी.सी. के MOOC/SWAYAM पोर्टल से प्रत्येक सेमेस्टर में प्रस्तावित पाठ्यक्रम के स्थान पर विभाग द्वारा निर्दिष्ट MOOC पाठ्यक्रमों को चुना जा सकता है।

x. **Master's Thesis/Dissertation (परास्नातक थीसिस/शोध प्रबंध)**: परास्नातक प्रोग्राम के सभी छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में एक शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

Section-II

B. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश व निकास के संबंध में दिशा-निर्देश

क. प्रवेश-प्रक्रिया (पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया) :-

a. प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता :

- विश्वविद्यालय के प्रवेश से संबंधित नियमों में निर्धारित अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में तीन/चार साल की स्नातक की डिग्री या समकक्ष, कानून के अनुसार स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई और इस विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता/आहर्ता होगी। स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए संबंधित पाठ्यक्रम नियामक प्राधिकरण अतिरिक्त या उच्चतर आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं।
- **अधिकृत चैनलों के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिक सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।**

b. प्रवेश नियम एवं आरक्षण

- विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधीन अनुमोदित **प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया- 2021-22** एवं वर्तमान सत्र (2024-25) में विश्वविद्यालय की तरफ से जारी

अद्दतन (updated) प्रवेश एवं अध्ययन नियमावली- 2024 के अधीन होगा। इसके साथ ही साथ समय-समय पर केंद्र और उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश से संबन्धित जारी होने वाले शासनादेशों का विश्वविद्यालय की विधायी समितियों से अनुमोदन के पश्चात पालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रवेश के समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आरक्षण नियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

c. प्रवेश प्रक्रिया

- परास्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू होने के समय सत्र 2022-23 से विद्यार्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर अथवा महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर अपने संकाय (Science/Arts/Commerce/ Management etc.) का चुनाव अपने प्रवेश के समय उपलब्ध विकल्पों [जिसमें 01 (मुख्य विषय, जो उसके मूल संकाय से होगा, जिससे वह परास्नातक करना चाहता है) + 01 अनिवार्य माइनर इलेक्टिव विषय (जो उसके मूल संकाय के अतिरिक्त अन्य किसी संकाय से ही लेना होगा) के चयन से करेगा। विषयों का चयन वर्तमान सत्र (2024-25) से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही करना होगा)। संकाय और उसके अधीन आने वाले विषयों की सूची हेतु **[(सन्दर्भ – इस प्रवेश नियमावली के पृष्ट 17 से 20 - (मुख्य विषयों की सूची से करेगा)]**
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उक्त विषय में उपलब्ध सीटों एवं नियमों के आलोक में ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।
- माइनर इलेक्टिव विषयों में प्रवेश विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संबन्धित विभाग अपने उपलब्ध संसाधनों (शिक्षक/कक्ष की क्षमता इत्यादि) को ध्यान में रख कर ही देंगे।
- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार पाठ्यक्रम का चतुर्थ वर्ष अथवा पुरातन प्रणाली (तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात परास्नातक प्रथम वर्ष) में प्रवेश वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा। **इस संबंध में अवगत हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के 2021 से लागू स्नातक प्रवेश एवं अध्यापन नियमावली के प्राविधानानुसार जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से आच्छादित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के जिन छात्र/छात्राओं का तृतीय वर्ष (छठे सेमेस्टर तक) का सी०जी०पी०ए० 7.5 या इससे अधिक है, केवल वही छात्र चतुर्थ वर्ष के सातवें सेमेस्टर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार स्नातक चतुर्थ वर्ष (7वें सेमेस्टर) में प्रवेश ले सकते है।** जिन विद्यार्थियों का **सी०जी०पी०ए० 7.5 से कम है, वे पुरानी प्रणाली के दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते है)**
- इसके साथ ही साथ स्नातक के चौथे वर्ष के 7 वें सेमेस्टर (NEP-2020 के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार, जो अब नई व्यवस्था में पुराने परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (सातवाँ एवं आठवाँ सेमेस्टर) के समान

गा । ऐसे चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में वे ही महाविद्यालय (अनुदानित अथवा स्ववित्तपोषित) त्र/मान्य होंगे, जिनके यहाँ संबंधित विषय में परास्नातक पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु पूर्व में वीर बहादुर र्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

क्रम की अवधि और क्रेडिट आवश्यकताएँ एवं निर्धारण

नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर (2 शैक्षणिक वर्ष) में होंगे । प्रत्येक सेमेस्टर में शिक्षण के लिए लगभग 5 सप्ताह और परीक्षा के लिए 2 सप्ताह होंगे । इसके अलावा, दूसरे सेमेस्टर के बाद विद्यार्थियों के लिए (लगभग) से 6 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी ।

स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि लगातार चार शैक्षणिक सत्र होगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 से आच्छादित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को ऐसे मुख्य विषय जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते है, के लिए पाँच क्रेडिट/प्रति पेपर के चार थ्योरी पेपर लेने होंगे । इसी तरह से ऐसे मुख्य विषय जिसमें प्रैक्टिकल होते है, वहाँ विद्यार्थी को 04 क्रेडिट/प्रति पेपर के चार थ्योरी पेपर व 04 क्रेडिट का एक प्रयोगात्मक पेपर प्रति सेमेस्टर में लेने होंगे । इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे । इस तरह से विद्यार्थियों को एक वर्ष में अपने मुख्य विषय में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे । इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट की कुल संख्या 100 (24 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर) होगी, जो **संलग्नक- पृष्ठ संख्या: 15-16 पर अंकित तालिका के अनुसार)** निम्न तालिका अनुसार होगा :

NEP-2020 के अनुसार निर्धारित क्रेडिट

सेमेस्टर	मूल विषय का क्रेडिट		माइनर इलेक्टिव (पेपर)	वृहद शोध प्रोजेक्ट/ संस्थागत प्रशिक्षण/इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टरनशिप/फील्ड विजिट	कुल क्रेडिट/सेमेस्टर
	प्रोगात्मक विषयों के लिए कुल क्रेडिट	केवल सैद्धांतिक विषयों के लिए कुल क्रेडिट			
VII	4(पेपर)x4 (क्रेडिट)=16 (सैद्धांतिक पेपर)+4 (प्रैक्टिकल कार्य) = 20	4(सैद्धांतिक पेपर)x5 (क्रेडिट)=20	04	लघु शोध कार्य (04 क्रेडिट)	24 or 28
VIII	4(पेपर)x4 (क्रेडिट)=16 (सैद्धांतिक पेपर)+4 (प्रैक्टिकल कार्य) = 20	4(सैद्धांतिक पेपर)x5 (क्रेडिट)=20	04	लघु शोध कार्य (04 क्रेडिट)	24 or 28
IX	4(पेपर)x4 (क्रेडिट)=16 (सैद्धांतिक पेपर)+4 (प्रैक्टिकल कार्य) = 20	4(सैद्धांतिक पेपर)x5 (क्रेडिट)=20	04	संस्थागत प्रशिक्षण/इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टरनशिप/फील्ड विजिट (04 क्रेडिट)	24
X	4(पेपर)x4 (क्रेडिट)=16 (सैद्धांतिक पेपर)+4 (प्रैक्टिकल कार्य) = 20	4(सैद्धांतिक पेपर)x5 (क्रेडिट)=20	04	संस्थागत प्रशिक्षण/इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टरनशिप/फील्ड विजिट (04 क्रेडिट)	24
				कुल क्रेडिट	100

e. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना –

- स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम की रूपरेखा संबंधित विषय के अध्ययन परिषद द्वारा अनुशंसित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा संबंधित विनियमों के अनुसार होगी।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई, 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर संशोधित तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में (पृष्ट संख्या : 15-16) भी अंकित है। स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 से आच्छादित समस्त स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी०बी०सी०एस० एवं सेमेस्टर प्रणाली में ही संचालित होंगे।
- अध्ययन परिषद के माध्यम से स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें विद्यार्थियों हेतु अधिकाधिक Optional पेपर्स हों। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 से आच्छादित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष **(7वें अथवा 8 वें सेमेस्टर मे से किसी एक में)** में प्रत्येक छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4/5/6 क्रेडिट का होगा। जो निम्न प्रकार से होगा 04=केवल सैद्धांतिक पेपर ; 05= सैद्धांतिक (04)+01 (असाइनमेंट/प्रोजेक्ट आधारित पेपर) ; एवं 06= सैद्धांतिक (04)+02 (प्रैक्टिकल कार्य आधारित पेपर)।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अध्ययन परिषद (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित कराये जायेगें।

f. स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष अथवा 7 वें व 8 वें सेमेस्टर) एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के द्वितीय वर्ष अथवा 9 वें व 10 वें सेमेस्टर) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

- विद्यार्थियों के सुगमता के लिए निम्न प्रारूप का अनुसरण किया जा सकता है :

पाठ्यक्रम वर्ष	सेमेस्टर	शैक्षणिक कार्य आवंटन	मूल्यांकन
प्रथम वर्ष	7 वां सेमेस्टर	संबंधित मुख्य विषय में वृहद शोध करना होगा, जो interdisciplinary/multi-disciplinary भी हो सकता है।	विद्यार्थियों को शोध परियोजना 7 वें सेमेस्टर में ही दे दिया जायेगा, परंतु इसका मूल्यांकन 8 वें सेमेस्टर में होगा।
	8 वां सेमेस्टर		
द्वितीय वर्ष	9 वां सेमेस्टर	विद्यार्थी नवें सेमेस्टर में अपने विषय से संबंधित संस्थागत प्रशिक्षण/इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टरनशिप /फील्ड विजिट करेगा।	विद्यार्थियों अपने विषय से संबंधित संस्थागत प्रशिक्षण/इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टरनशिप /फील्ड विजिट का रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसका मूल्यांकन 10 वें सेमेस्टर में होगा।
	10 वां सेमेस्टर		

- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी एवं एक अन्य को-सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल/SCOPUS में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन पूर्णांक (100 अंक) में से 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

g. उपस्थिति की आवश्यकता:

- 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र सेमेस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, असाधारण मामलों में, संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक विद्यार्थी द्वारा साक्ष्य सहित प्रस्तुत वास्तविक कारण के आधार पर न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकता में 15% अधिकतम छूट दे सकते हैं।

SECTION III

C. Evaluation and Examination System (मूल्यांकन एवं परीक्षा व्यवस्था)

i. स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम छोड़ कर जाना चाहता है, तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी।

ii. स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52 + 48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

iii. चार क्रेडिट वाले ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप रिपोर्ट का मूल्यांकन 10 वें सेमेस्टर में किया जायेगा। छात्र को संबंधित संस्थान/संगठन से अपेक्षित प्रमाणीकरण के साथ परियोजना रिपोर्ट जमा करनी होगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट (50 प्रतिशत वेटेज) और, छात्र द्वारा प्रस्तुतीकरण और मौखिक परीक्षा (50 प्रतिशत वेटेज) के मूल्यांकन के लिए पैनल में बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुशंसित एक बाहरी परीक्षक और एक या दो आंतरिक परीक्षक होंगे। विभागाध्यक्ष/निदेशक इस प्रक्रिया को बुलाएंगे और समन्वय करेंगे)।

iv. शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन आठ क्रेडिट वाले चौथे सेमेस्टर में किया जायेगा। छात्र को संबंधित पर्यवेक्षक से अपेक्षित प्रमाणीकरण के साथ शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना आवश्यक है। शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन (50 प्रतिशत वेटेज) और, छात्र द्वारा प्रस्तुति और मौखिक परीक्षा (50 प्रतिशत वेटेज) में एक बाहरी परीक्षक और एक या दो होंगे। अध्ययन परिषद द्वारा अनुशंसित पर्यवेक्षक सहित आंतरिक परीक्षक (प्रमुख/निदेशक प्रक्रिया को बुलाएंगे और समन्वयित करेंगे)।

v. अन्य सभी क्रेडिट पाठ्यक्रमों में (ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप रिपोर्ट और थीसिस/शोध प्रबंध के अलावा), परीक्षा की योजना के अनुसार छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होगी।

vi. सेमेस्टर के अंत में लिखित परीक्षा में 75 अंकों का होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के एक पैनल द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और मॉडरेशन समिति द्वारा विधिवत संचालित किये जायेंगे। परीक्षा की योजना यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र को एक ही दिन में एक से अधिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में शामिल न होना पड़े।

vii. सतत आंतरिक मूल्यांकन 25 अंकों का होगा और यह उपस्थिति (05), कक्षा टेस्ट, सेमिनार में भागीदारी, समूह गतिविधियों, क्विज़, व्यक्तिगत और समूह असाइनमेंट/प्रस्तुतियाँ, सह-पाठ्यचर्या जैसे कारकों और पाठ्येतर गतिविधियाँ (15) तथा कक्षा में सहभागिता तथा व्यवहार (05) आदि पर आधारित होगा।

viii. **महाविद्यालयों/विभागों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन हेतु मिड टर्म परीक्षाओं के आयोजन का नयी व्यवस्था मे कोई आवश्यकता नहीं है।**

ix. किसी विशेष पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उस पाठ्यक्रम का आंतरिक मूल्यांकन करे। यदि किसी पाठ्यक्रम में एक से अधिक शिक्षक शिक्षण-कार्य साझा कर रहे हों, तो प्रत्येक शिक्षक स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेगा और एक भारित औसत अंक लिया जायेगा।

x. प्राप्तांकों की गणना में आसानी के लिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम का अधिकतम 100 अंक (25 आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 75 सेमेस्टर के अंत के लिए आयोजित परीक्षा) पर मूल्यांकन किया जायेगा। MBA, MCA, LLM, M.Ed., M.P.Ed., M.Lib Sc. एवं अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में निम्न तालिका (a) जबकि MA, M.Sc., M.Com., MJMC, MVA, MHA, MPH, MPS, MSW एवं अन्य समान पाठ्यक्रमों में तालिका (b) के माध्यम से प्राप्त अंकों को ग्रेड में परिवर्तित किया जायेगा।

Table : a

Marks Obtained	Numeric Grade	Letter Grade	Meaning
85 and above	8.5 to 10.00	A+	Outstanding
70 to below 85	7.00 to 8.49	A	Excellent
60 to below 70	6.00 to 6.99	B+	Very Good
55 to below 60	5.5 to 5.99	B	Good
50 to below 55	5.0 to 5.49	C	Above Average
40 to below 50	4.0 to 4.99	D	Average
Less than **40**	0.0	F	Failed

Table : b

Marks Obtained	Numeric Grade	Letter Grade	Meaning
85 and above	8.5 to 10.00	A+	Outstanding
70 to below 85	7.00 to 8.49	A	Excellent
60 to below 70	6.00 to 6.99	B+	Very Good
55 to below 60	5.5 to 5.99	B	Good
50 to below 55	5.0 to 5.49	C	Above Average
40 to below 50	4.0 to 4.99	D	Average
33 to below 40	3.3 to 3.99	P	Just Pass
Less than 33	0.0	F	Failed

xi. **एसजीपीए और सीजीपीए की गणना:** सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

a. **Semester Grade Point Average (सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत) :** सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एस.जी.पी.ए.) एक सेमेस्टर में जमा किये गये सभी पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित ग्रेड अंकों का भारित औसत (Weighted Average) है और उस विशेष सेमेस्टर में उसके शैक्षणिक निष्पादन (performance) का वर्णन करता है। यदि किसी छात्र को दिये गये अंकों या अक्षर ग्रेड से जुड़े संख्यात्मक ग्रेड बिंदु n पाठ्यक्रमों में g1, g2, g3..........gn हैं और पाठ्यक्रमों के संबंधित क्रेडिट w1, w2, w3............wn हैं, तो SGPA का गणना इस प्रकार किया जाता है:

SGPA = (g1.w1 + g2.w2. +gn.wn)/(w1+w2 + ...+ wn)

b. **Cumulative Grade Point Average (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) :** संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) सभी सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों में एक छात्र के समग्र शैक्षणिक निष्पादन (performance) को दर्शाता है। इसकी गणना एस.जी.पी.ए. के समान ही की जायेगी, सभी पाठ्यक्रमों (मान लीजिए, एन) पर विचार करते हुए और इसके द्वारा दिया जाता है:

CGPA= (g1.w1 + g2.w2 + ...+ gn.wn) / (w1 + w2 +.......+ wn)

c. जब भी किसी छात्र को पाठ्यक्रम दोहराने की अनुमति दी जाती है, तो दोनों में से बेहतर ग्रेड को एस.जी.पी.ए. और सी.जी.पी.ए. की गणना के लिए लिया जायेगा।

d. **Rounding off of Grade Point Average (ग्रेड प्वाइंट औसत को पूर्णांकित करना):** एस.जी.पी.ए. और सी.जी.पी.ए की गणना करते समय प्राप्त ग्रेड के संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित किया जायेगा।

xii. परीक्षा, पदोन्नति एवं पुनः परीक्षा देने के नियम:

a. किसी भी पाठ्यक्रम में ग्रेड **'P'** से **'A+'** (संख्यात्मक ग्रेड 4 या उच्चतर) प्राप्त करने वाले छात्र को उस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण माना जायेगा।

b. गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए **'संतोषजनक (Satisfactory)'** (ग्रेड **'P'** से **'A+'**) या **'असंतोषजनक (Unsatisfactory)** (ग्रेड **'F' या 'AB'**) को अक्षर ग्रेड के बजाय दर्शाया जायेगा और इन्हें एस.जी.पी.ए./सी.जी.पी.ए. का गणना के लिए नहीं गिना जायेगा।

c. एक छात्र प्रति सेमेस्टर अधिकतम 7 **ग्रेस अंक** पाने के लिए तभी पात्र होगा, जब छात्र ग्रेस की मदद से सेमेस्टर के सभी पेपर को पास करने में सक्षम हो।

d. सभी छात्रों को सेमेस्टर I से सेमेस्टर II और सेमेस्टर III से सेमेस्टर IV तक **स्वचालित (automatically)** रूप से पदोन्नत किया जायेगा।

e. **एक छात्र को प्रथम वर्ष (सेमेस्टर II) से दूसरे वर्ष (सेमेस्टर III) में पदोन्नत तभी किया जायेगा, यदि उसने सेमेस्टर I और सेमेस्टर II में संयुक्त रूप से कम से कम पचास प्रतिशत क्रेडिट कोर्स उत्तीर्ण किया हो।**

f. वे छात्र जो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें अधिकतम सीमा के भीतर उन पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में फिर से शामिल होना होगा, जिनमें छात्र फेल हो गया है, साथ ही उन पाठ्यक्रमों को भी शामिल करना होगा, जिनमें वह सुधार करना चाहता है। स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि की अनुमति दी गई। **ऐसे मामलों में आंतरिक मूल्यांकन के ग्रेड आगे बढ़ाए जायेंगे।**

g. वे छात्र जो कक्षोन्नति के लिए पात्र हैं और अपने ग्रेड में सुधार (improvement) करना चाहते हैं, वे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दी गई अधिकतम निर्धारित समय अवधि के भीतर, सेमेस्टर परीक्षा के अंत में अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए अधिकतम दो लगातार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मामलों में आंतरिक मूल्यांकन के ग्रेड आगे बढ़ाए जायेंगे।

h. एक छात्र को कार्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम निर्धारित समय अवधि के भीतर एक सेमेस्टर के लिए पुनः पंजीकरण करने की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जा सकती है, ऐसे मामले में आंतरिक मूल्यांकन का नए सिरे से मूल्यांकन होगा :
   - ✓ छात्र अनुत्तीर्ण रहा हो।
   - ✓ छात्र सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ अथवा परीक्षा में सम्मलित न हुआ हो या अन्य परिस्थितियाँ।
   - ✓ छात्र को सेमेस्टर के प्रदर्शन को छोड़ने की इच्छा है और वह दोहराना चाहता है।

i. वे छात्र जो किसी सेमेस्टर में किसी पाठ्यक्रम में दोबारा शामिल होते हैं या किसी सेमेस्टर के लिए दोबारा पंजीकरण कराते हैं, उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

j. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों को विश्वविद्यालय नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा।

k. विश्वविद्यालय के नियमों/आदेशों के अनुसार चुनौती मूल्यांकन की अनुमति दी जायेगी।

xiii. **Grade Card (ग्रेड कार्ड):** प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक छात्र को एक ग्रेड कार्ड जारी किया जायेगा।

xiv. **Transcript (प्रतिलेख):** नियमों के अनुसार विद्यार्थी के अनुरोध पर कार्यक्रम के सफल समापन पर एक छात्र को एक प्रतिलेख जारी किया जायेगा।

xv. **Withholding of Grade Card/Transcript (ग्रेड कार्ड/प्रतिलेख को रोकना) :** यदि किसी छात्र ने अपना बकाया भुगतान (no dues) नहीं किया है, या उसके खिलाफ अनुशासनहीनता का कोई मामला लंबित है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका ग्रेड कार्ड/प्रतिलेख रोक दिया जायेगा।

xvi. **Exit Option and Award of Post Graduate Diploma (पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करना)**

a. यदि छात्र किसी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के एक वर्ष पूरा होने के बाद छोड़ना चाहता है, तो वह संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के प्रमाणपत्र के लिए पात्र होगा, बशर्ते छात्र निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो।

b. किसी विद्यार्थी को संबंधित संकाय और विषय में परास्नातक की डिग्री तभी प्रदान की जायेगी जब उसने अपने अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों जैसे M.A. एवं M.Sc. के मामले में न्यूनतम CGPA 3.3 एवं M.Com, M.J.M.C., MBA, MHA, MPH, MPS, MSW और अन्य समान कार्यक्रम को पूरा किया है और MBA, MCA, LLM, M.Ed., M.P.Ed. और अन्य पेशेवर पीजी पाठ्यक्रम के मामले में न्यूनतम 4.00 CGPA प्राप्त किया तथा साथ ही साथ किसी भी पाठ्यक्रम में **'F'** अथवा **'Ab'** के बिना तीन शैक्षणिक वर्षों के भीतर प्रासंगिक नियमों के तहत निर्धारित 48 क्रेडिट अर्जित किया हैं, तो उसे

c. विश्वविद्यालय के सभी बकाया का भुगतान किया।

d. उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

e. विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

f. **एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र लेटरल एंट्री के माध्यम से परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु अधिसूचित नियमों के अधीन निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे।**

xvii. Award of Post Graduate Degree and Class/Division (स्नातकोत्तर उपाधि एवं कक्षा/श्रेणी का निर्धारण)

a. छात्रों को कक्षा/डिवीजन निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किया जायेगा :

CGPA Range	Class/Division
7.50 <= CGPA<= 10.00	First Class with Distinction
6.00 <= CGPA< 7.50	First Class
4.50 <= CGPA< 6.00	Second Class
3.30 <= CGPA< 4.50	Pass Class

b. छात्रों की योग्यता रैंक उनके द्वारा प्राप्त सीजीपीए के आधार पर निर्धारित की जायेगी। हालाँकि केवल वे छात्र ही पदक पाने के पात्र होंगे, जिन्होंने पहले प्रयास में ही सभी सेमेस्टर और पेपर उत्तीर्ण किये हो।

c. AICTE, MCI, BCI, PCI एवं NICTE आदि जैसी व्यावसायिक परिषदों द्वारा शासित पाठ्यक्रमों में वैधानिक परिषदों की सिफारिशों के आलोक में बोर्ड ऑफ स्टडीज और अन्य सक्षम निकायों द्वारा तय किए गए मानदंड लागू होंगे।

xviii. Conversion of CGPA to Equivalent Marks (CGPA को समकक्ष अंकों में परिवर्तित करना): सीजीपीए को प्रतिशत अंकों में बदलने की कोई सीधी विधि नहीं है, हालांकि, पारंपरिक अंक प्रणाली की तुलना में समग्र सांकेतिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए CGPA को 10 से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है।

xix. Interpretation Clause (व्याख्या उपवाक्य): इस नियमावली के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

SECTION: IV

D. पी०एच०डी० कार्यक्रम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 एवं यू०जी०सी०-2022 के अनुसार)

- पी०एच०डी० कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू०जी०सी०-2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री-पी०एच०डी० कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री०-पी०एच०डी० कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6-6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित कराये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली- 2022 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 78 के अनुरूप प्री-पी०एच०डी० कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55 % अथवा समकक्ष ग्रेड/CGPA होंगें।

- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त प्री-पी०एच०डी० कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री- पी०एच०डी० कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री- पी०एच०डी० कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा। प्री -पी०एच०डी० कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी०एच०डी० में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या -69/सत्तर-1-2022 दिनांक 06-01-2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री-पी०एच०डी० कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवाही करने को कहा है। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में सेवारत नियमित शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क करने की छूट उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से दिया है।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract 1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph. D. in Subject

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

3 year Honors/ Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	(Minimum Credits) For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-2(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1(3)	1(2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2) or Extra Curr*		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1(2) (Indian/Local Language)	1(3)* Internship	
(80+40=120) 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	
					or				
(80+50=130) 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

Important Notes:

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1

* See 7.1

संकाय वर्गीकरण

- प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न सकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है, तो उसको सम्बंधित विषय के संकाय में माना जाये। **उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या -1267(1)/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक:15 जून, 2021 के शासनादेश के अधीन है।**
- अतःविषयी विषय के सम्बद्ध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये। सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।
- **पूर्व में कई विषय जैसे - गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी०ए०/ बी०एस०सी० दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे, जिस कारण से वे दोनों संकायों में गये थे। अतः इस संदर्भ में पूर्व में जारी व्यवस्था लागू रहेगी अथार्त ऐसे विषय जैसे - गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, गृह-विज्ञान, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जो बी०ए०/ बी०एस०सी० दोनों में आते है, उनमें पूर्व की भाँति उपाधि प्रदान की जायेगी।**
- नई व्यवस्था में निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य प्रशासनिक एवं पाठ्यक्रम निर्धारण और अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

A. Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. Arabic (अरबी) 2. Communicative English (संचार अँग्रेजी) 3. English (अँग्रेजी) 4. Farsi (फारसी) 5. Foreign language (विदेशी भाषा) 6. French (फ्रेंच) 7. German (जर्मनी) 8. Hindi (हिन्दी) 9. Linguistics (भाषा विज्ञान)	10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन) 11. Pali (पाली) 12. Prakrit (प्राकृत) 13. Punjabi (पंजाबी) 14. Sanskrit (संस्कृत) 15. Sindhi (सिंधी) 16. Tibbati (तिब्बती) 17. Urdu (उर्दू)

B. Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. Adult and Continuing Education (प्रौण, सतत् एवं प्रसार शिक्षा) 2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति) 3. Anthropology (मानवशास्त्र) 4. Adult and Continuing Education (प्रौण, सतत् एवं प्रसार शिक्षा) 5. Anthropology (मानवशास्त्र)	6. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति) 7. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय) 8. Astrology (ज्योतिष विज्ञान) 9. Defense and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन) 10. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)

11. Economics (अर्थशास्त्र) 12. Education (शिक्षा शास्त्र) 13. Geography (भूगोल) 14. History(इतिहास)- Medieval and Modern History (मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास) 15. Home Science (गृह विज्ञान) 16. Human Development (मानव विकास) 17. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास) 18. Human Rights (मानवाधिकार) 19. Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति) 20. Journalism (पत्रकारिता) 21. Journalism and Communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)	22. Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) 23. Mass Media (संचार मीडिया) 24. Media and communication (मीडिया एवं संचार) 25. Nutrition and Dietetics (पोषण एवं आहार विज्ञान) 26. Philosophy (दर्शनशास्त्र) 27. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) 28. Political Science (राजनीति विज्ञान) 29. Psychology (मनोविज्ञान) 30. Public Administration (लोक प्रशासन) 31. Social Workers (सामाजिक कार्य) 32. Sociology (समाजशास्त्र) 33. Women Studies (महिला अध्ययन) 34. Yoga (योग शिक्षा)

C. Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) 2. Astronomy (खगोल विज्ञान) 3. Biochemistry (जैव-रसायन विज्ञान) 4. Bioinformatics (जैव-सूचना विज्ञान) 5. Biotechnology (जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान) 6. Botany (वनस्पति विज्ञान) 7. Chemistry (रसायन विज्ञान) 8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग) 9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान) 10. Electronics (इलैक्ट्रोनिक्स) 11. Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) 12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) 13. Forensic Science (फोरेन्सिक विज्ञान) 14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन) 15. Geology (भू-गर्भ विज्ञान)	16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक) 17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान) 18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन विज्ञान) 19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी) 20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान) 21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी) 22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान) 23. Life Science (जीवन विज्ञान) 24. Mathematics (गणित) 25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) 26. Nanotechnology (नैनो-प्रौद्योगिकी विज्ञान) 27. Physics (भौतिक विज्ञान) 28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान) 29. Statistics (सांख्यिकी) 30. Toxicology (विष विज्ञान) 31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

D. Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)

1. Agriculture (कृषि विज्ञान) **2.** Agriculture economics **3.** Agriculture extension (कृषि विस्तार) **4.** Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी) **5.** Animal husbandry (पशुपालन) **6.** Forestry (वानिकी)	**7.** Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी) **8.** Horticulture (उद्यान विज्ञान) **9.** Plant Protection (पादप संरक्षण) **10.** Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान) **11.** Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)

E. Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)

F. Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

E. Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)	F. Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)
1. Law related Courses (विधि संबन्धित पाठ्यक्रम) a. Law as one of the three subjects in U.G. programme. b. B.A. L.L.B., B.Sc. L.L.B, B.Com. L.L.B., L.L.B, L.L.M.	1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा): B.P.Ed. , M.P.Ed. 2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) : B.Ed., M.Ed.

G. Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. Commerce (वाणिज्य) 2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा) 3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं बिक्री प्रबंधन)	4. Banking and Insurance (बैंकिंग एवं बीमा) 5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार) 6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता) 7. Taxation (कराधन)

H. Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन) 2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र) 3. Finance and Control word (वित्त एवं नियंत्रण) 4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन) 5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)	6. International Business (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 7. Logistic Managements (रसद प्रबंधन) 8. Management Sciences (प्रबंधन विज्ञान) 9. Marketing (विपणन) 10. Tourism Management Team (पर्यटन प्रबंधन) 11. Travel and Hospitality Management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

I. Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)

1. Architecture (वास्तुकला) 2. Choreography 3. Dance 4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य- भरतनाट्यम) 5. Dance- Kathak (नृत्य- कथक) 6. Dance - Folk (लोक नृत्य) 7. Drawing & Painting (चित्रकारी) 8. Film (चलचित्र) 9. Fine Arts (ललित कला)	10. Music- Vocal (संगीत-गायन) 11. Music Instrument Sitar (संगीत- सितार) 12. Music Instrument Tabla (संगीत- तबला) 13. Music (संगीत) 14. Performing Art (प्रदर्शन कला) 15. Sculpture (मूर्ति कला) 16. Theatre and Cinema (रंगमंच एवं चलचित्र) 17. Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

J. Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40 % (General) & 60 % (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तगत आयेंगे।

1. Advertising Sales Promotion and Sales Management **2.** Agribusiness management **3.** Airline, Tourism and Hospitality Management **4.** Analytical Instrumentation **5.** Community Sciences (Home Sciences) **6.** Dairy Technology	**7.** Foreign Trade Practices and Procedures **8.** Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology **9.** Multimedia, Animation and Graphics **10.** Nutrition and health care Sciences **11.** Organic farming and Organic products **12.** Principles and Practice of Insurance

K. Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. Community Development and Extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार) 2. Co-operation (सहकारिता) 3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन) 4. Horticulture- Rural Science (उद्यान विज्ञान- ग्रामीण विज्ञान)	5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग) 6. Fisheries (मतस्य पालन) 7. Rural Banking (ग्रामीण बैंकिंग)

L. Faculty of Engineering and Technology (अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय)

1. Mechanical Engineering (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) 2. Computer Science Engineering (कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी) 3. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी) 4. Electrical Engineering (विद्युत अभियांत्रिकी) 5. Electronics & Communication Engineering (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग)	6. Electronics & Instrumentation Engineering (इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग) 7. Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान) 8. Applied Sciences: Physics, Chemistry, Mathematics (अनुप्रयुक्त विज्ञान: भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) 9. Humanities (मानविकी)

M. Faculty of Medicine (चिकित्सा संकाय)

1. Pharmacy (फार्मसी)

विश्वविद्यालय भविष्य में शासन से प्राप्त निर्देश एवं शासनादेश के क्रम में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है।

(डॉ० मनोज कुमार पाण्डेय)
संयोजक
परास्नातक प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन नियमावली2024 एवं
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कुलसचिव